SAI
भारतीय खेल प्राधिकरण
SPORTS AUTHORITY OF INDIA

मानव संसाधन विभाग - II
(HUMAN RESOURCES DIVISION-II)

Head Office, East Gate
J N Stadium, Lodhi Road,
New Delhi-110 003

File No.:01-04001(02)/35/2024-HO - Personnel Division/356 **Date: 03.07.2026**

शुद्धिपत्र /CORRIGENDUM

SUB: APPOINTMENT TO THE POST OF DEAN ON LPD MINUS PENSION BASIS IN SPORTS AUTHORITY OF INDIA REGARDING EXTENSION IN CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS.

SAI is an autonomous organization under the Ministry of Youth Affairs & Sports (MYAS) registered under the Societies Registration Act, 1860, invites applications from eligible candidates for appointment to the post of **Dean on LPD minus Pension basis**. In partial modification to this advertisement **File No.:01-04001(02)/35/2024-HO - Personnel Division /301** dated **20.05.2026,** the closing date for submission of online applications for the post of Dean on LPD minus Pension basis is **hereby extended up to 31.07.2026 (05.00 PM).** The remaining clauses stand valid.

The details and application form are available on the website of the Ministry of Youth Affairs & Sports www.yas.nic.in & SAI i.e. www.sportsauthorityofindia.nic.in.

Jayanti
3/7/26

सहायक निदेशक(**ASSISTANT DIRECTOR)**

मानव संसाधन विभाग - II(**HUMAN RESOURCES DIVISION-II)**

भारतीय खेल प्राधिकरण(**SPORTS AUTHORITY OF INDIA)**

भारतीय खेल प्राधिकरण
SPORTS AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
खेल विभाग / DEPARTMENT OF SPORTS
(An Autonomous Body under Ministry of Youth Affairs and Sports)
(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय)

(HUMAN RESOURCES DIVISION-II)

Room No. 209, SAI-Head Office,
Jawaharlal Nehru Stadium Complex (East Gate-No. 10)
Lodhi Road, New Delhi-110003

F.No. 01-04001(02)/35/2024-HO - Personnel Division/301

Dated: 20-05-2026

भारतीय खेल प्राधिकरण ने पेंशन घटाकर एलपीडी के आधार पर संकायाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं

SPORTS AUTHORITY OF INDIA INVITES APPLICATIONS FOR ENGAGEMENT OF DEAN ON LPD MINUS PENSION BASIS

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) सेवानिवृत्त व्यक्तियों को **संकायाध्यक्ष** के रूप में एलपीडी माइनस पेंशन के आधार पर 01 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, के लिए आवेदन आमंत्रित करता है (DoE O.M. No. 3-25/2020-E.III A दिनांक 09.12.2020 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में)।

Sports Authority of India (SAI) invites application for engagement of services of Retired Persons as **DEAN** on LPD minus Pension basis for a period 01 year or till the age of 65 years whichever is earlier (in compliance to the guidelines stipulated in DoE O.M. No. 3-25/2020-E.III A dated 09.12.2020).

2.0 भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में / About Sports Authority of India

भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका उद्देश्य देश में खेलों के विकास और संवर्धन का है। आज SAI का मुख्य उद्देश्य खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित एवं तैयार करना है। इसके पास अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवसंरचना और प्रशिक्षित प्रशिक्षक उपलब्ध हैं। प्राधिकरण को भारत सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाती है।

*** तैनाती का स्थान उन केंद्रों में होगा जहां अखिल भारतीय आधार पर भाखेप्रा की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।**

SAI is an autonomous organization under the Ministry of Youth Affairs and Sports registered under the Societies Registration Act, 1860, with the mandate of development and promotion of Sports in the country. SAI's main objective today is to achieve excellence in sports and train & prepare sportspersons to participate in international competitions. It has international standard sports infrastructure spread across the country along with trained coaches to achieve its objectives.

***The place of posting will be on All-India basis in the centers where SAI schemes are being implemented.**

3.1 संकायाध्यक्ष के लिए पात्रता मानदंड

Eligibility Criteria for Dean

ताधलका – I

Table – I

पद का नाम **Name of the post**	संकायाध्यक्ष Dean
Pay band and pay grade or pay scale	वेतन स्तर-13: ₹123100 - ₹215900 (PB-4, ₹37400-67000 + ₹8700/- ग्रेड पे) Level -13 Rs. 123100-215900 (PB-4, Rs.37400-67000+Rs. 8700/- Grade Pay)
पदों की संख्या **No. of Post**	02
आयु सीमा **Age limit**	आवेदन प्राप्त होने की प्रारंभिक तिथि पर आयु **64** वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। Not exceeding **64** years as on the opening date of receipt of application.
आवश्यक योग्यता **Eligibility Criteria**	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधीन वैज्ञानिक कैडर में कार्यरत अधिकारी, जिनके पास निम्नलिखित योग्यताएं हैं: मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष पद पर कार्यरत **(या)** वे अधिकारी जिन्होंने वेतन स्तर-12, ₹78800-209200 (PB-3, ₹15600-39100 + ₹7600/- ग्रेड पे) में न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो। Officers who have worked under the Central Government/ State Government/ Union Territory Administrations in the scientific cadre holding: Analogous post in the parent cadre/ department. **(OR)** Officer with regular service of 5 years in the Pay Level-12. Rs.78800-209200. (PB-3, Rs. 15600-39100+ Rs. 7600/- Grade Pay)
आवश्यक योग्यता **Essential Qualification**	उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खेल विज्ञान के संबंधित क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। The Candidate must hold a Ph.D. Degree in the relevant field of Sports Science from a recognized University or Institution.
वांछनीय अनुभव **Desirable Experience**	खेल विज्ञान/चिकित्सा के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। 3 years' experience in the field of sports science/medicine
पाररश्रधमक **Remuneration**	अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन घटाकर। Last Pay Drawn Minus Pension.

वेतन वृद्धि हेतु खंड **Clause for increment**	इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की अवधि तक अपरिवर्तित रहेगी। अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि और महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract. No annual increment/percentage increase and Dearness Allowance shall be allowed during the term of the contract.
धनयुक्ति की अवधि **Term of engagement**	नियुक्ति की अवधि 01 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, SAI की कार्य-निष्पादन समीक्षा/आवश्यकता के आधार पर होगी। (DoE O.M. No. 3-25/2020-E.III A दिनांक 09.12.2020 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में)। The term of appointment shall be for a period of 01 year or till the age of 65 years, whichever is earlier, based on the performance review/requirement of SAI. (In compliance to the guidelines stipulated in DoE O.M. No. 3-25/2020-E.III A dated 09.12.2020).

4.0 चयन प्रशिया/Selection Process

पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और चयन विधिवत नियुक्त चयन/साक्षात्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

The candidate fulfilling the eligibility criteria will be called for interview and the selection will be made on the basis of the recommendations of duly appointed Selection/ Interview Committee

5.0 नियम और शर्तें /Terms and Conditions

i. **पाररश्रशमक:** एक वनवित मावसक रावश स्वीकायय होगी, जो सेवावनवृवत्त केसमय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन को घटाकर प्राप्त की जाएगी। अंवतम आहररत वेतन से काटी जाने वाली मूल पेंशन सेवावनवृवत्त के समय वनियररत पेंशन होगी और इस प्रकार, यद कमयचारी ने पेंशन केकम्यूटेड मूल्य का लाभ उठाया है, तो पेंशन का कम्यूटेड वहस्सा भी कटौती किए जाने वाले पेंशन के वहस्से में शामल किया जाएगा। इस प्रकार वनियररत पाररश्रवमक की रावश अनुबंध की अवधि के लिए अपररववतयत रहेगी। अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि और महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा।

Remuneration: A fixed monthly amount shall be admissible, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The basic pension to be deducted from the Last pay drawn shall be pension as fixed at the time of retirement and, as such, if the employee has availed of the commuted value of pension, the commuted portion of pension shall also be included in the portion of pension to be deducted. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract. No annual increment/percentage increase and Dearness Allowance shall be allowed during the term of the contract.

ii. **स्रोत पर कर कटौती:** आयकर या कटौती योग्य कोई अन्य कर, प्रचलित नियमों के अनुसार, भुगतान करने से पहले स्रोत पर ही काट लिया जाएगा, जिसके लिए SAI लागू होने पर TDS/सेवा कर प्रमाण पत्र जारी करेगा।

Tax Deduction at Source: The Income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment, for which the SAI will issue TDS /Service Tax Certificates, as applicable.

iii. **अन्य भत्ते:** वनयुखि के समय या उसके पूरा होने पर कोई टीए/डीए देय नहीं होगा। डीए, आवास, आवासीय फोन, निजी स्टाफ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति,, एचआरए और एलटीसी आवद जैसी कोई अन्य सुविधाएँ देय नहीं होंगी।

Other Allowances: No TA/DA shall be admissible for joining the assignment or on its completion. No other facilities like DA, Accommodation, Residential Phone, Personal Staff, Medical reimbursement, HRA and LTC etc. would be admissible.

iv. **पररवहन भत्ता:-** आप अनुबंध की अवधि के दौरान प्रति माह तैनाती स्थान के आधार पर 5,580/- रुपये या 11,160/- रुपये के परिवहन भत्ते के हकदार होंगे। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी

Transport Allowance: - You will be entitled for the transport allowance of Rs. 5,580/- or Rs. 11,160/- depending upon place of posting per month during the period of contract The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment.

v. **शवस्तार: -** उनके कार्यनिष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाएगी तथा आवधिक समीक्षा/आवश्यकता के आधार पर उनके कार्यकाल विस्तार पर विचार किया जाएगा। (यह विस्तार DoE के दिनांक 09.12.2020 के O.M. संख्या 3-25/2020-E.III A द्वारा शासित होगा)।

Extension: - His/her Performance would be continuously reviewed and his/her extension will be considered on the basis of periodic review / requirement. (The extension would be governed by DoE O.M. No. 3-25/2020-E.III A dated 09.12.2020).

vi. **छुट्टी: -** वह प्रति कैलेंडर वर्ष में आनुपातिक आधार पर मासिक आधार पर 1.5 दिन की छुट्टी का हकदार होगा/होगी। इसलिए, वर्ष में 18 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने पर उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा/मिलेगी। साथ ही, एक कैलेंडर वर्ष में न ली गई छुट्टी समाप्त हो जाएगी और उसे अगले कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

Leave: - He/she will be entitled for 1.5 days leave on monthly basis in a calendar year on pro-rata basis. Therefore, he/she shall not draw any remuneration in case of his/her absence beyond 18 days in a year. Also, un-availed leave in a calendar year will lapse and will not be carried forward to the next calendar year.

6.0 गोपनीयता:/Confidentiality:

क) अनुबंध की अवधि के दौरान, यह संभावना है कि चयनित उम्मीदवार को अनुबंध के संचालन और अनुबंध के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न गोपनीय जानकारी प्राप्त होगी। ऐसी गोपनीय जानकारी में, बिना किसी सीमा के, कोचिंग डेटा रिपोर्ट, किसी भी एथलीट का प्रदर्शन विश्लेषण और मनोवैज्ञानिक परीक्षण और प्रशिक्षण डेटा, व्यावसायिक और वित्तीय जानकारी, व्यावसायिक तरीके और व्यवहार, तकनीक और तकनीकी रणनीतियाँ, विपणन रणनीतियाँ, व्यापार रहस्य या "गोपनीय जानकारी" कही जाने वाली कोई अन्य जानकारी शामिल हो सकती है।

During the course of the contract, it is likely that the selected candidate will come into contact with various confidential information crucial to the operation and fulfilling his/her obligations of the contract. Such confidential information may include, without limitations, reports coaching data, performance analysis and psychological testing and training data of any athlete, business & financial information, business methods and practices, technology and technological strategies, marketing

strategies, trade secrets or any other such information referred to as "Confidential Information".

ख) चयनित व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों के वास्तविक निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी पुस्तक या लेखों का संकलन प्रकाशित करने, रेडियो प्रसारण में भाग लेने, लेख लिखने, या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर गुमनाम या छद्म नाम से योगदान करने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसी कोई पुस्तक, लेख, प्रसारण, या इस कार्य के भाग के रूप में एकत्रित किसी भी जानकारी का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना करता है, तो ऐसे किसी भी उल्लंघन पर नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, यदि चयनित उम्मीदवार SAI द्वारा दिए गए अपने कार्य के अलावा कोई पुस्तक, लेख प्रकाशित करना या कोई अन्य जानकारी प्रसारित करना चाहता है, तो ऐसा सक्षम प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।

Selected persons will not be allowed to publish a book or a compilation of articles or participate in a radio broadcast or contribute an article or anonymously or pseudonymous in the name of any other person without prior approval of the Competent Authority in the bonafide discharge of his/her duties. If such book, article, broadcast, uses any information that he/she may gather as part of this assignment without the prior approval of the Competent Authority any such violation will attract strict actions as per rules. However, if the selected candidate desires to publish any book, article or broadcast any information other than his/her assignment given by SAI, the same can be carried out only after obtaining written approval of the Competent Authority.

ग) नियुक्ति की अवधि के दौरान, कर्मचारी भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अधीन होगा और नियुक्ति की अवधि के दौरान उसके द्वारा एकत्रित की गई कोई भी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बताएगा जो उसे जानने के लिए अधिकृत नहीं है।

During the period of engagement, Employee would be subject to the provisions of the Indian Official Secret Act, 1923 and will not divulge any information gathered by him/her during the period of his/her engagement to anyone who is not authorized to know.

घ) चयनित कार्मिक किसी भी मामले में दूसरों को प्रतिनिधित्व या राय या सलाह नहीं दे सकते, जो भारतीय खेल प्राधिकरण और सरकार के हितों के प्रतिकूल हो।

The Selected personnel at no instance can represent or give opinion or advice to others in any matter, which is adverse to the interest of the Sports Authority of India and Government.

7.0 अन्य शर्तें:/Other Conditions:

क. यदि उसे आधिकारिक ड्यूटी के लिए दौरे पर तैनाती स्थल से बाहर जाना पड़ता है, तो वह SAI (वेतन ग्रेड स्तर 13) में समकक्ष स्तर के अधिकारियों के लिए लागू नियमों के तहत देय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

ख. यदि प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो 15 दिन का नोटिस देने के बाद उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाएँगी। यदि आप सेवा समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको 30 दिन का अग्रिम नोटिस देना होगा या नोटिस अवधि के बदले एक महीने का पारिश्रमिक देना होगा, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगा।

ग. उसे नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित रहना होगा और अनुबंध अवधि के दौरान कोई अन्य कार्यभार नहीं संभालेगा।

घ. अपनी नियुक्ति के दौरान उसे कार्यालय शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखना होगा, अन्यथा उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।

ङ. संविदात्मक नियुक्ति के दौरान आपको "अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन घटाकर" निश्चित मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा।

च. वह केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का पालन करेगा।

छ. उपरोक्त शर्त पर किसी भी पूर्वाग्रह के बिना, यदि उम्मीदवार रोजगार की शर्तों में निहित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है या कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, अनधिकृत अनुपस्थिति आदि सहित किसी भी कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उम्मीदवार को बिना किसी दायित्व के तत्काल प्रभाव से उसकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

ज. प्राप्त आवेदनों की प्रासंगिक अनुभव और नौकरी विवरण के आधार पर जांच/शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और योग्य उम्मीदवारों को आवेदक के खर्चे पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

झ. पात्रता, चयन और पोस्टिंग से संबंधित सभी मामलों में SAI का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में SAI द्वारा किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

SAI बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर विज्ञापन और/या चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ट. किसी भी विवाद की स्थिति में महानिदेशक SAI अंतिम प्राधिकारी होंगे।

ठ. नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर होगी और इससे उन्हें इस संगठन में नियमित कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के लिए किसी भी तरह से या उससे नीचे किसी भी अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं मिलता है।

ड. SAI में रोजगार से संबंधित किसी भी मुकदमेबाजी के मामले दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में होंगे।

ढ. SAI की आवश्यकता के अनुसार, एक पैनल तैयार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और इसका उपयोग SAI के साथ भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी योजना/परियोजना द्वारा किया जा सकता है। SAI बिना कोई कारण बताए पैनल को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ण. इस संबंध में आगे की अधिसूचना/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल SAI की वेबसाइट पर ही डाला जाएगा।

त. किसी भी विवाद की स्थिति में, रोजगार सूचना का अंग्रेजी संस्करण ही वैध माना जाएगा।

थ. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे विज्ञापन में निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। जो उम्मीदवार पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें भर्ती/चयन के किसी भी चरण में अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

द. निर्धारित प्रारूप में नहीं या अपूर्ण/अहस्ताक्षरित या आवश्यक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, बोर्ड/विश्वविद्यालय की अंकतालिका आदि की प्रति के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ध. यदि आवश्यकता पड़े तो SAI बिना कोई अतिरिक्त सूचना दिए या कोई कारण बताए, भर्ती प्रक्रिया को संशोधित/परिवर्तित/प्रतिबंधित/विस्तारित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

न. SAI का निर्णय अंतिम होगा और इस मुद्दे के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

न्न.कृपया आगे की जानकारी के लिए नियमित रूप से अपना ईमेल खाता देखें।

In case he/she is required to proceed outstation from the place of posting on tour for official duty, he/she will be entitled to TA/DA as admissible under the rules as applicable to Officers of equivalent level in SAI (Pay Level 13).

a. In case performance is not found satisfactory, his/her services will be discontinued after giving 15 days' notice. In case you want to discontinue, you will have to give 30 days advance notice or one month remuneration in lieu of notice period which will be subject to the approval of the Competent Authority.
b. He/she would be required to attend office on regular basis and would not take up any other assignment during the contract period.
c. During the course of his/her engagement he/she is required to maintain office decorum and discipline failing which his/her services are also liable to be terminated at any time without assigning any reason.
d. During the contractual engagement you will be paid fixed monthly remuneration of "Last Pay Drawn Minus Pension".
e. He will abide by the CCS (Conduct) Rules, 1964.
f. Without any prejudice to the above condition, the candidate will be terminated from his/her services with immediate effect without any obligations, in case the candidate is found guilty of violating any of the conditions contained in the terms of employment or is guilty of any misconduct including negligence of duties, unauthorized absence, etc.
g. The applications received will be scrutinized/ shortlisted on the basis of relevant experience and job description and the eligible candidates will be called for Interview at cost to the applicant.

h. Decision of SAI in all matters regarding eligibility, selection and posting would be final and binding upon all candidates. No representation or correspondence will be entertained by SAI in this regard.
i. SAI reserves the right to cancel the advertisement and/or the selection process at any stage without assigning any reason.
j. The DG SAI shall be the final authority in case of any dispute.
k. The appointment will be purely on contract basis and does not confer/ entitle him/her to claim in any manner or below any right for his/her engagement as regular employee in this organization or that of a government employee.
l. Any litigation matters pertaining to employment at SAI shall be amenable to jurisdiction of courts in Delhi.
m. Owning to the requirement in SAI, a panel shall be drawn which will be valid for a period of one Year and can be utilized by any Scheme/project funded by Government of India along with SAI. SAI reserves the right to cancel the panel without assigning any reason.
n. Further notifications/corrigendum in this regard, if any, will be put up on SAI website only.
o. In case of any dispute, English version of the Employment notice will be treated as valid.
p. Candidates should ascertain, before applying, that they satisfy all the eligibility conditions as stipulated in the advertisement. Candidates, who do not satisfy the eligibility conditions, will be liable to be disqualified at any stage of recruitment/selection.
q. Application Forms not in the prescribed format or incomplete/unsigned or received without a copy of essential qualification certificates, experience certificates, copy of mark-sheet of Board/ University etc shall not be considered and are liable to be rejected.
r. SAI reserves the right to modify/alter/restrict/enlarge/cancel the recruitment process, if the need so arises without issuing any further notice or assigning any further notice any reason thereof.
s. The decision of the SAI will be final and no appeal will be entertained against this issue.
t. Please do visit your email account regularly for further updates.

8.0 सामान्य अनुदेश /General Instructions

8.1 आवेर्दन कैसे करें : - उम्मीदवार को केवल https://sportsauthorityofindia.nic.in/saijobs लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे और तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएँगे। वेबसाइट पर पंजीकरण/आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित होना चाहिए:

8.2 HOW TO APPLY: - The candidate has to apply only online through the link https://sportsauthorityofindia.nic.in/saijobs . Applications received through any other mode would not be accepted and summarily rejected. Before registering/submitting applications on the website, the candidates should possess the following:

मान्य ई-मेल आईडी: ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज ई-मेल आईडी, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय रहनी चाहिए। एक बार दर्ज की गई ई-मेल आईडी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

Valid E-mail ID: The e-mail ID entered in the online application form should remain active until the recruitment process is completed. No change in the e-mail ID will be allowed once entered.

i. ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय स्व-सत्यावपत दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे
(Self-attested documents to be uploaded while submitting application online):

1. जन्म तिथि का प्रमाण: आधार कार्ड/10वीं कक्षा की मार्कशीट/12वीं कक्षा की मार्कशीट।

(Proof of Date of birth: Aadhar Card/10th class mark sheet/12th class mark sheet.)

ii. आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव के प्रमाण पत्र

(Certificates of essential educational qualifications & experience.)

1. पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति

(Scanned copy of passport size color photograph and signature.)

2. केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों में काम करने के मामले में उनके वतयमान नियोक्ता से अनापवत्त प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति

(Scanned copy of No Objection Certificate from their present employer, in case working in Central/ State Government/ Autonomous Organizations.)

iii. नवीनतम अंतिम भुगतान प्रमाण-पत्र।

(Latest Last pay drawn certificate)

iv. (पेंशन भुगतान आदेश)

(Pension Pay Order)

8.3 आवेदन प्रपत्र के साथ भती का ववविरण भाखेप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://sportsauthorityofindia.nic.in

- **ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि:- 21.05.2026 (10:00 AM)**
- **ऑनिाइन आवेर्दन जमा करने की अंतिम तिथि: 05.06.2026 (05:00 PM)**

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: The schedule for applying online is given below:-

- **Date of Opening Online Application: 21.05.2026 (10:00 AM)**
- **Closing date for submission of online: 05.06.2026 (05:00 PM)**

8.4 नीचे दिए गए सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा

All the instructions given below must be strictly followed or else the application is liable to be rejected.

i. कौन आवेदन कर सकता है: केवल उन भारतीय नागररकों से आवेदन आमंवत्रत वकए जाते हैं जो आवश्यक शैिवणक योग्यता और आवश्यक कायय अनुभव (जैसा वक तावलका-I में उखल्लखखत है) की पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

WHO CAN APPLY: Applications are invited only from Indian citizens who fulfil eligibility criteria of essential educational qualification and essential work experience **(as mentioned in Table-I).**

ii. प्रमाण पत्र की वास्तववकता सुवनवित करने की वजम्मेदारी पूरी तरह से उम्मीदवार की स्वयं सत्यापन द्वारा है। SAI उन अनुभव प्रमाणपत्रों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो ऊपर बताए गए अनुसार सही विवरण प्रदान नहीं करते हैं।

The responsibility of ensuring genuineness of the certificate lies completely on the candidate by self-attestation. **SAI RESERVES THE RIGHT TO DISCARD EXPERIENCE CERTIFICATES WHICH DO NOT PROVIDE CORRECT DETAILS AS MENTIONED ABOVE.**

iii. उम्मीदवारों को उपरोक्त मानदंडों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए कोई टीए/डीए देय नहीं होगा। इसलिए, पात्रता मानदंडों को पूरा करने का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए विचार किया जाएगा।

Candidates will be called for the interview on the criteria as mentioned above, for which no TA/DA will be paid. Hence, fulfilment of eligibility criteria does not entail that candidate will be considered for the interview.

iv. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि सभी चरणों में उनकी उम्मीदवारी पूर्णतः अनंतिम होगी, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करें। यदि साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी चरण में सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो SAI द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

The Candidates should note that their candidature at all the stages will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification at any stage, before or after Interview, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions; their candidature will be cancelled by SAI.

नोट: चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदन में उल्लिखित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। कार्यभार ग्रहण करते समय आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

NOTE: SELECTED CANDIDATES WILL BE REQUIRED TO PRODUCE THE ORIGINAL CERTIFICATES MENTIONED IN APPLICATION AT THE TIME OF JOINING. FAILING TO SUBMIT THE REQUIRED CERTIFICATES IN ORIGINAL AT THE TIME OF JOINING WILL LEAD TO CANCELLATION OF CANDIDATURE.

9.0 लागू कानून और क्षेत्राधिकार (APPLICABLE LAW & JURISDICTION):

चयनित उम्मीदवारों का अनुबंध भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित होगा। दोनों पक्ष, अर्थात् भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और चयनित उम्मीदवार, इसके अंतर्गत या इससे संबंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए दिल्ली की अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

The contract of the selected candidates shall be governed by and construed in accordance with the laws of Republic of India. Both the parties i.e. SAI and the selected candidate shall be amenable to the exclusive jurisdiction of the courts of Delhi, for the adjudication of any dispute hereunder or in connection herewith.

टिप्पणी (NOTE): -

संविदा पद के लिए अधिकतम कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक है, (डीओईओ.एम. सं. 3-25/2020-ई.III ए दिनांक 09.12.2020 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में)। और किसी भी स्थिति में अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवार इस तथ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि संकायाध्यक्ष का पद चयनित उम्मीदवारों के अनुबंध की समाप्ति के बाद भी बना रह सकता है। लेकिन चयनित उम्मीदवार अपने अनुबंध की समाप्ति के बाद (किसी भी मामले में) पद पर बने रहने का दावा नहीं कर सकता है और एसएआई के पूर्ण विवेक पर रिक्त पद के खिलाफ नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है/नहीं भी की जा सकती है। नई भर्ती अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 के सिद्धांतों के आधार पर शुरू की जाएगी, ताकि नौकरी बाजार में सभी उम्मीदवारों को साई में उक्त पद के लिए चयनित होने के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और समान अवसर प्रदान किया जा सके और मौजूदा और पूर्व साई कर्मचारी भी नई भर्ती में भाग ले सकते हैं।

*THE MAXIMUM TENURE FOR THE CONTRACTUAL POST IS TILL THE AGE OF 65 YEARS, (STRICTLY IN COMPLIANCE TO THE GUIDELINES STIPULATED IN DOE O.M. NO. 3-25/2020-E.III A DATED 09.12.2020). AND IN NO CASE WHATSOVER THE CONTRACT WILL BE EXTENDED FURTHER. MOREOVER, THE CANDIDATE MAY ALSO TAKE NOTE OF THE FACT THAT THE POST OF **DEAN** MAY CONTINUE TO EXIST EVEN AFTER THE EXPIRY OF CONTRACT OF THE SELECTED CANDIDATES, BUT THE SELECTED CANDIDATE CANNOT CLAIM CONTINUATION ON THE POST (IN ANY CASE WHATSOEVER) AFTER THE EXPIRY OF HIS/HER CONTRACT AND A FRESH RECRUITMENT PROCESS MAY/MAY NOT BE INITIATED AGAINST THE VACANT POST ON THE SOLE DISCRETION OF SAI. THE FRESH RECRUITMENT SHALL BE INITIATED BASED ON THE PRINCIPLES OF ARTICLE 14 (RIGHT TO EQUALITY) & ARTICLE 15, IN ORDER TO PROVIDE A FAIR, JUST AND EQUAL OPPORTUNITY TO ALL THE CANDIDATES IN THE JOB MARKET TO GET SELECTED FOR THE SAID POST IN SAI AND THE EXISTING AND EX-SAI EMPLOYEES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE FRESH RECRUITMENT.*

I. भारतीय खले प्राविकरण के साथ कार्य के दौरान, यह अत्यविक संभावना है वक भाखेप्रा चयवनत उम्मीदवार को ज्ञान उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और/ /या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओंया सम्मेलनों में विदेशी प्रदर्शन के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है हालांकि, *यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन चयनित उम्मीदवार को इस विज्ञापन में उल्लिखित संविदात्मक कार्यकाल से परे कार्यकाल में विस्तार के लिए पात्र नहीं बनाएगा।*

II. *DURING THE COURSE OF ENGAGEMENT WITH SPORTS AUTHORITY OF INDIA, IT IS HIGHLY LIKELY THAT SAI MAY DEPUTE THE SELECTED CANDIDATE FOR VARIOUS TRAINING PROGRAMMES FOR KNOWLEDGE UPGRADATION AND CAPACITY BUILDING AND/OR FOREIGN EXPOSURES IN VARIOUS INTERNATIONAL SPORTS COMPETITIONS OR CONFERENCES, HOWEVER, IT IS MADE CLEAR THAT NO SUCH TRAINING PROGRAMME/INTERNATIONAL EXPOSURE SHALL ENTITLE THE SELECTED CANDIDATE FOR AN EXTENSION IN TENURE BEYOND THE CONTRACTUAL TENURE MENTIONED IN THIS ADVERTISEMENT.*

अस्वीकरण: वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लेने वाला माना जाएगा तथा भर्ती अभियान में भाग लेने के दौरान उन्हें सभी नियमों और शर्तों (यहां निर्धारित) से सहमत माना जाएगा।

DISCLAIMER: *CANDIDATES TAKING PART IN THE CURRENT RECRUITMENT PROCESS SHALL BE DEEEMED TO HAVE READ ALL THE TERMS & CONDITIONS MENTIONED IN THE ADVERTISEMENT AND SHALL BE DEEMED TO AGREE TO ALL THE TERMS & CONDITIONS (STIPULATED HEREIN) WHILE PARTICIPATING IN THE RECRUITMENT DRIVE.*

Jayanti
20/5/26

सहायक निदेशक (मानव संसाधन प्रभाग-II)
Assistant Director (Human Resources Division-II)
भा खे प्रा – मुख्य कार्यालय / SAI-Head Office